

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन

I- डॉ० दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा-25(2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

II - श्री मुरारीलाल मीणा, तकनीकी शिक्षा (कृषि) राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.
- 2- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012.

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2012-2013 जनजाति क्षेत्रीय विकास, उद्योग, राजस्व, खनिज, संस्कृत शिक्षा, पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, युवा एवं खेलकूद, स्वायत्त शासन, वन, उच्च शिक्षा, सिंचित क्षेत्र विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, सिंचाई, शिक्षा, गृह, नगरीय विकास एवं आवासन, सूचना एवं जन सम्पर्क, कृषि, सहकारिता, आबकारी, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, कृषि विपणन, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, उपनिवेशन, कारागार, सम्पदा, पुरातत्व, भू-जल, श्रम एवं नियोजन, सहायता, डेयरी, नागरिक उड्डयन, वित्त, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन, इंदिरा गांधी नहर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वर्ष 2006 से 2009 तक के आश्वासनों से संबंधित, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2012-2013 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिका का उपस्थापन

श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा उपखण्ड क्षेत्र शेरगढ़ में जलदाय विभाग द्वारा स्वीकृत 33 नलकूपों की शीघ्र खुदाई करवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5 राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (वि.सं.-54), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जायेगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया  
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 26 फरवरी, 2013